उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-123 /2019/10मु0स0/92-2-2019-61एम/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 13 सितम्बर 2019

**कार्यालय-ज्ञाप**

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आजमगढ में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत रहने के दौरान उच्चादेश/शासनादेश के माध्यम से निर्गत दिशा निर्देशों की अवहेलना करने, बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय पर उपस्थित न रहने, कार्यो की प्रगति समीक्षा बैठक में उपस्थित न होने आदि अनुशासनहीनता एवं शासकीय कार्यो के प्रति लापरवाही हेतु प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर श्री वी0के0 सिंह गौर, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आजमगढ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आजमगढ को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-123/2019/10मु0स0(1)/92-2-2019 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को श्रीमतीकनक त्रिपाठी, आयुक्त, आजमगढ मण्डल के पत्र सं0-1259/वै0सहा0 दि0 13-08-2019 की **मयसंलग्नक** छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री वी0के0 सिंह गौर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर 03 दिन के अंदर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(संलग्नक-यथोक्त)**

**2-** जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

**3-** प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता,ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-आजमगढ।

4- श्री वी0के0 सिंह गौर, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आजमगढ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अवध नारायण )
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in